

थाना उघैती पुलिस द्वारा 3.5 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार करने वाले अपचारी को अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 24 घण्टे के भीतर किया गिरफ्तार।

श्री आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बदायूं के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी बिल्सी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30/03/2024 को थाना उघैती पुलिस द्वारा धर्मपुर जाटान मन्दिर के सामने से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 91/24 धारा 376AB व 5n/6 पॉक्सो एक्ट में नामित अपचारी को निगरानी पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय किशोर बोर्ड बदायूं के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 29.03.2024 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना उघैती पर मु0अ0सं0 91/24 धारा 376AB व 5n/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- निल

नाम व पता गिरफ्तार- बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 91/24 धारा 376AB व 5n/6 पॉक्सो एक्ट थाना उघैती बदायूं।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय- धर्मपुर जाटान मन्दिर के सामने, दिनांक 30.03.2024 समय 06.50 बजे।

बरामदगी का विवरण- निल

अपराध करने का तरीका- अपचारी द्वारा वादी की 3.5 वर्ष की पुत्री को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर गलत काम करना।

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री राजेश कौशिक थाना उघैती बदायूं
2. उ0नि0 श्री नाजिर अली थाना उघैती बदायूं
3. कां0 212 विपिन कुमार थाना उघैती बदायूं
4. कां0 1129 सुशील कुमार थाना उघैती बदायूं

सोशल मीडिया सेल, बदायूं।